उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या 25/2022/826/92-2-22-179जांच/2015

लखनऊ:: दिनांक 22 नवम्बर, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-ललितपुर में डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत निविदा प्रक्रिया में अनियमितता एवं अम्बेडकर कार्यो के निर्माण कार्य कराने हेतु बिड कैपेसिटी से अधिक का कार्य सौपने, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के शासनादेश संख्या-2466/92-1-18-85एम/2014 दिनांक 30.07.2018 के विपरीत निविदा स्वीकार किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कर्यालय ज्ञाप सं0-25/92-2-21-179जांच/2015 दिनांक 08.01.2021 द्वारा श्री मो0 रिजवान साबिर खॉ, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-ललितपुर के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए जॉच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- अपचारी अधिकारी श्री मो0 रिजवान साबिर खॉ के अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30.06.2022 को सेवानिवृत्त हो जाने के दृष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-24/2022/825/92-2-22-179जांच/15 दिनांक 22.11.2022 द्वारा उनके विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक जॉच को सी0एस0आर0 के अनुच्छेद -351ए में परिवर्तित किया गया।

3- जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-146/ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच/ललितपुर/2021-22 दिनांक 28.05.2022 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी, जिसमें अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित कुल 02 आरोप स्थापित पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-236प्र0स0/92-2-21-179जांच/2015 दिनांक 30.07.2021 द्वारा अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मॉगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 18.02.2022 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया। तत्क्रम में अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रत्यावेदन निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित करते हुए शासन के पत्र सं0-140/92-2-22-179जांच/2015 दिनांक 10.03.2022 व पत्र दिनांक 04.08.2022 के माध्यम से प्रश्नगत प्रकरण में हुई शासकीय क्षति के संबंध में स्थिति स्पष्ट कराते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या मॉगी गयी जो उनके पत्र दिनांक 19.09.2022 द्वारा शासन में उपलब्ध करायी गयी।

3- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, जॉच आख्या में स्थापित पाये गये आरोपो के संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा शासन में उपलब्ध कराये गये अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में अपचारी अधिकारी द्वारा निविदा प्रक्रिया में अनियमितता की गयी परन्तु उक्त अनियमितता से किसी प्रकार की शासकीय क्षति कारित नही पायी गयी। अतएव श्री खॉ के अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप उनके द्वारा सेवाकाल में की गयी प्रक्रियात्मक त्रुटि के लिये सेवानिवृत्त के पश्चात् किसी प्रकार का प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का अवसर उपलब्ध न होने के दृष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-25/92-2-21-179जांच/2015 दिनांक 08.01.2021

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही, जिसे उनके दिनांक सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात् शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-24/2022/825/92-2-22-179जांच/2015 दिनांक 22-11-2022 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित किया गया है, को बिना दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से,

राजेन्द्र सिंह मौर्य
विशेष सचिव।

संख्या-25/2022/826(1)/92-2-2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- श्री रिजवान साबिर खॉ, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, प्रखण्ड-ललितपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।